भारतीय जन संचार संस्थान सोसाईटी

1860 के इक्कीसवें अधिनियम, सोसाइटी
पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत

नियमावली
तथा
नियम और विनियम

भारतीय जन संचार संस्थान
अरुणा असफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067

इस सोसाईटी का नाम भारतीय जन संचार संस्थान सोसाईटी होगा (जिसे इसमें आगे 'सोसाईटी कहा गया है) जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. इस सोसाईटी का कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में होगा ।
2. इस सोसाईटी को स्थापित करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. भारतीय जन संचार संस्थान के प्रशासन और प्रबन्धन को सुदृढ़ करना और सुचारू रूप से चलाना ।

क) देश में सामाजिक आर्थिक विकास की अपेक्षाओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जन संचार माध्यम के उपयोग और विकास के लिए प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रम आयोजित करना ।

ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सूचना और प्रचार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना;

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाना ।

ग) विश्वविद्यालयों, शैक्षिणिक और शोध संस्थानों के साथ ही साथ व्यापारिक और औद्योगिक स्थापनाओं के सहयोग से जन संचार, सूचना और प्रचार से जुड़ी समस्याओं पर व्याख्यान, सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करना ।

घ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्म कालीन विद्यालय और इसी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम आयोजित करना तथा व्याख्यान देने और/या शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के जन संचार विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक प्रदान करना।

ड) सोसाईटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कोई पत्रिका, आवधिक पत्रिका मॉनोग्राफ या पोस्टर मुद्रित, प्रकाशित और प्रदर्शित करना।

च) सोसाईटी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य सरकारी या गैरसरकारी शैक्षिक निकायों के प्रयासों में सहायता करना और स्वयं को उनसे जोड़ना ।

छ) जन संचार के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने की दृष्टि से छात्रवृत्ति, अध्येयतावृत्ति, आर्थिक सहायता और पुरस्कार योजना प्रारंभ करना और प्रदान करना ।

ज) शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना और उनकी वसूली करना तथा छात्रों और अधिकारियों तथा सोसाईटी के कर्मचारियों के आवास के लिए हॉल और छात्रावास बनाना, उनकी देखरेख करना और उनका प्रबन्धन कार्य करना।

2. किसी अन्य संस्थान को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से अपने अधीन लेना और ऐसे किसी अन्य संगठन से सहयोग करना जिसके उद्देश्य इस संस्थान के उद्देश्यों से पूरी तरह या अंशतः मेल खाते हों।

3. सोसाईटी के प्रयोजन के लिए यथावश्यक अध्यापन, प्रशासन, तकनीकी लिपिकवर्गीय और ऐसे ही अन्य पदों का सृजन करना तथा इन पदों के लिए नियुक्तियां करना ।

'बशर्ते वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श तथा उस विषय पर भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार किया गया हो।

4. सोसाईटी के कार्य संचालन के लिए नियम और उप नियम बनाना और समय-समय पर इनमें परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या रद्द करना ।

5. किसी सरकार, निगम, न्यास, या व्यक्ति से सोसाईटी के प्रयोजनों के लिए अनुदान, अंशदान, दान, उपहार, वसीयत प्राप्त करना या स्वीकार करना बशर्ते कि इनके लिए सोसाईटी के उद्देश्यों के विपरीत कोई शर्त या बाध्यता नहीं लगाई गई हो और विदेशी सरकार, संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मामलों में केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया हो ।

6. सोसाईटी की निधि बनाने में क्या-क्या क्रेडिट होगा:-

क) केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई पूरी राशि;

ख) सोसाईटी द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क और अन्य प्रभार;

ग) सोसाईटी द्वारा अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत या अंतरण के रूप में प्राप्त की गई पूरी राशि; और

घ) सोसाईटी द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि।

7. इस निधि में क्रेडिट की गई सभी रकम को केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सोसाईटी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार जमा करना ।

8. चैक, नोट या अन्य परक्राम्य लिखत तैयार करना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना और भुगतान करना तथा इस प्रयोजन से ऐसे आश्वासन और लेखों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना और सुपुर्द करना जो सोसाईटी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों ।

9. सोसाईटी से सम्बद्ध निधियों या ऐसी निधियों के किसी विशेष भाग से सोसाईटी के मामलों के प्रबन्धन और प्रशासन के लिए समय-समय पर सोसाईटी द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करना जिसमें सोसाईटी बनाने, सभी किराए, दरें, कर निर्गामी व्यय और कर्मचारियों के वेतन सहित सभी व्यय सम्मिलित हैं ।

10. क) सोसाईटी के अध्यापकों, स्टाफ और अन्य कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों को या उनकी पत्नियों, विधवाओं, बच्चों या उनके अन्य आश्रितों को पेंशन, उपदान या धर्मार्थ सहायता देना ।

ख) सोसाईटी द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी, विधवा, बच्चों या ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आश्रित को लाभ के लिए उसके बीमा का भुगतान करना और भविष्य तथा लाभ निधियां बनाना और उनमें अशंदान करना ।

ग) सोसाईटी के प्रयोजन के लिए किसी भी तरह से सम्पत्ति अधिग्रहण करना, बनाए रखना और उसे बेचना बशर्ते कि अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण और उसे बेचने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।

घ) अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सोसाईटी द्वारा समुचित ढंग से सोसाईटी से सम्बद्ध किसी भी सम्पत्ति का उपयोग करना ।

ङ) केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति के बिना, या सोसाईटी से सम्बद्ध सभी या किसी अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर, दृष्टिबंधक रखकर या गिरवी रखकर या सोसाईटी के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार से राशि उधार लेना या जुटाना ।

च) घर, हॉस्टल, स्कूल या अन्य भवनों का निर्माण करना और अनुरक्षण करना और विद्यमान भवनों सहित इन भवनों में परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्धन या आशोधन करना तथा

सोसाईटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे भवनों में उपयोग के लिए बिजली, जल, जल निकास मार्ग, फर्नीचर, यंत्र, जुड़नार उपकरण और उपस्कर उपलब्ध करवाना और लगवाना ।

छ) सोसाईटी से सम्बद्ध या उसके द्वारा धारित किसी भूमि, मनोरंजन या खेल के मैदान, पार्क और किसी अन्य अचल सम्पत्ति में मरम्मत, विस्तार, परिवर्तन, परिवर्धन और सुधार निर्माण कार्य करना या इन्हें अन्यथा प्राप्त करना ।

11. सोसाईटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथोचित समितियों और उप-समितियों का गठन करना।

12. अपनी कोई या सभी शक्तियां कार्यकारी परिषद या सोसाईटी द्वारा गठित किसी समिति या उप-समिति को प्रत्यायोजित करना।

13. अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सोसाईटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यथापेक्षित सभी ऐसे विधिपूर्ण कार्य करना चाहे वे उपरोक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न ।

4. केन्द्र सरकार इस सोसाईटी और इसके संस्थानों का कार्य और उसकी प्रगति की समीक्षा करने इस सोसाईटी के मामलों की जांच करने और तत्संबंधी रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार एक या अधिक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले के सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई कर सकती है और निर्देश दे सकती है और सोसाईटी इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

5. केन्द्र सरकार सोसाईटी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने और सोसाईटी का उपयुक्त और कारगर कार्यसंचालन सुनिश्चित करने के लिए सोसाईटी को यथावश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

6. सोसाईटी ने चाहे किसी प्रकार से भी आय और सम्पत्ति प्राप्त की हो वह उस का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन इस संस्था ज्ञापन में बताए गए सोसाईटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए करेगी।

सोसाईटी की आय या संपत्ति का कोई भी अंश ऐसे व्यक्तियों को जो सोसाईटी या कार्यकारी परिषद या इनमें से किसी के सदस्य हों या कभी सदस्य रहे हों या उनके द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को या उनमें से किसी व्यक्ति को लाभांश, बोनस के रूप में या किसी प्रकार के लाभ के रूप में सीधे या परोक्ष रूप से अदा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा किन्तु इसमें दी गई किसी बात से उसके किसी सदस्य को सद्भाव से पारिश्रमिक देने या सोसाईटी को दी गयी किसी सेवा के लिए प्रतिफल देने या यात्रा भत्ता, किराया भत्ता या इसी प्रकार के अन्य प्रभार देने पर रोक नहीं लगेगी।

7. सोसाईटी की कार्यकारी परिषद के पहले सदस्यों जिन्हें सोसाईटी के नियमों और विनियमों के अंतर्गत सोसाईटी के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया, के नाम, पते और व्यवसाय के विवरण नीचे दिऐ गए।

क्र.सं.	नाम	पता स्थिति	
1.	श्री सी.आर.पट्टाभी रमन	उप मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री ए.एन. झा	सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री पी.एन. किरपाल	सचिव, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री. आई.जे.बहादुर सिंह	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय	सदस्य
5.	श्री के. एल.जोशी	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
6.	श्री बी. जी. इडनानी	उप सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य
7.	श्री एम. एल. भरद्वाज	प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो	सदस्य
8.	श्री एल. आर. नायर	निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान	सचिव

8. हम, सभी व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, स्वयं को इस संस्था ज्ञापन में बताए गए प्रयोजन के लिए इससे सम्बद्ध करते हैं, हम इसके द्वारा इस संस्था ज्ञापन पर 22 जनवरी 1966 को अपने-अपने हस्ताक्षर, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 की 21) के अंतर्गत अपनी एक सोसाईटी का गठन करते हैं।

क्र.सं.	सदस्यों के नाम, पता और व्यवसाय	सदस्यों के हस्ताक्षर	साक्षियों का नाम पता और व्यवसाय	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्री	हस्त./-	श्री आर. के गोविल अवर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली	हस्त./-
2.	श्री सी. आर. पट्टाभी रमन उप मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
3.	श्री ए. एन. झा सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
4.	श्री पी. एन. किरपाल सचिव, शिक्षा मंत्रालय	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
5.	श्री आई. जे. बहादुर सिंह संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
6.	श्री के. एल. जोशी सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	हस्त./-	-वही-	हस्त./-

7.	श्री बी. जी. इडवानी			
	सचिव, वित्त मंत्रालय	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
8.	श्री वी. के. नारायण मेनन			
	महा निदेशक, आकाशवाणी	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
9.	श्री एम. एल. भारद्वाज			
	प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो	हस्त./-	-वही-	हस्त./-
10.	श्री एल. आर. नायर			
	निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान	हस्त./-	-वही-	हस्त./-

भारतीय जन संचार संस्थान सोसाईटी के संशोधित नियम और विनियम

1. संक्षिप्त नामः

इन नियमों और विनियमों को ''भारतीय जन संचार सोसाईटी के नियम'' कहा जाएगा।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:

i) ''सोसाईटी'' का अभिप्राय भारतीय जन संचार सोसाईटी से होगा।

ii) ''संस्थान'' का अभिप्राय भारतीय जन संचार संस्थान होगा।

iii) ''निदेशक'' का अभिप्राय उक्त भारतीय जन संचार संस्थान के निदेशक से होगा।

iv) ''कार्यकारी परिषद'' का अभिप्राय नियम 18 के अंतर्गत सोसाईटी की कार्यकारी परिषद के रूप में गठित निकाय से होगा।

v) ''अध्यक्ष'' का अभिप्राय सोसाईटी का अध्यक्ष और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष से होगा।

3. सोसाईटी के सदस्य

क) सोसाईटी में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

1) समाज-विज्ञान संगठन के प्रतिनिधि जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

चार (4)

2) विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और पत्रकारिता तथा जन संचार विभागों के प्रतिनिधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

चार (4)

3) छः व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि अर्थात्

i. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) नई दिल्ली।

ii. एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोशिएशन ऑफ इंडिया (भारतीय विज्ञापन एजेंसी संस्था)।

iii. पब्लिक रिलेशन्स सोसाईटी ऑफ इंडिया, (भारतीय जन सम्पर्क सोसाईटी)

iv. फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, पूना

v. प्रेस इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

vi. फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स एसोशिएशन्स (भारतीय प्रकाशन संघ)

छः (6)

4) केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों के प्रतिनिधि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे।

छः (6)

5) सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इस मंत्रालय के अन्य प्रतिनिधि।

दो (2)

6) सूचना विभाग और राज्य सरकारों के प्रचार संगठनों के प्रतिनिधि।

चार (4)

7) कृषि विश्वविद्यालय और उनके संचार केन्द्रों, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलॉजी के प्रतिनिधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

दो (2)

8) केन्द्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और संगठनों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि:

i. विदेश मंत्रालय
ii. वित्त मंत्रालय
iii. शिक्षा विभाग
iv. योजना आयोग
v. विज्ञान और तकनीकी विभाग

छः (6)

9) जन जीवन, पत्रकारिता और किसी अन्य संचार माध्यम, थिएटर (रंगमंच) और पारम्परिक माध्यम, प्रबन्धन, कला और साहित्य के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से दस व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

दस (10)

10) निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

एक (1)

11) निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

एक (1)

12) भारतीय जन संचार संस्थान संकाय के प्रतिनिधि-एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक लेक्चरार ।

तीन (3)

13) संस्थान के निदेशक (पदेन सदस्य सचिव) ।

एक (1)

कुल 50

ख) केन्द्र सरकार सोसाईटी के सदस्यों में से सोसाईटी का अध्यक्ष नामित करेगी वह कार्यकारी परिषद का भी अध्यक्ष होगा ।

4. सदस्यों की नामावली:

सोसाईटी में सोसाईटी के सदस्यों की नामावली रहेगी और सभी सदस्यों को उसमें अपने हस्ताक्षर करने होंगे और उसमें उन्हें अपना नाम, पता और व्यवसाय लिखना होगा। जब तक कोई व्यक्ति ऊपर बताए अनुसार इस नामावली में अपने हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वह इस सोसाईटी का सदस्य नहीं माना जाएगा या वह इस सोसाईटी के सदस्य के अपने किसी अधिकार या विशेषाधिकार का उपयोग करने के योग्य नहीं माना जाएगा।

5. यदि सोसाईटी का कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह पता बदलने के 14 दिनों के भीतर निदेशक को अपने नए पते की सूचना देगा और निदेशक इस नए पते का सदस्यों की नामावली में प्रविष्टि करेगा। किन्तु यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित नहीं करता है तो सदस्यों की नामावली में उसके पते को ही उसका पता समझा जाएगा।

6. मौजूद सदस्यता की अवधि

क) सोसाईटी का मार्च 1978 से आरम्भ हर दो वर्ष के बाद मार्च माह में पुनर्गठन किया जाएगा। सोसाईटी के कार्यचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सोसाईटी के पुनर्गठन के लिए नामांकन का कार्य दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा।

ख) ऐसे सदस्य जिन्हें मंत्रालय/विभाग/संगठन में उनके पद या नियुक्ति की वजह से सोसाईटी में नामित किया गया हो वे यथास्थिति सोसाईटी की पूरी अवधि तक या इस पद या नियुक्ति पर रहने तक निरंतर इस सोसाईटी के सदस्य बने रहेंगे । किसी सदस्य के अपने पद या नियुक्ति पर न रहने की स्थिति में या मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा किसी सदस्य का नामांकन किसी नए सदस्य के पक्ष में वापस ले लेने की स्थिति में नया नामित सदस्य सोसाईटी का अगला पुनर्गठन होने तक सोसाईटी में सदस्य की हैसियत से कार्य करेगा।

ग) जिन सदस्य को व्यावसायिक निकायों से या अन्य संगठनों या प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया हो पूरी दो वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे किन्तु यदि किसी वजह से कोई पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी रिक्ति की स्थिति में नामित करने वाला संबंधित प्राधिकारी रिक्ति होने की तारीख के एक माह के भीतर अपने नए प्रतिनिधि को शेष बची अवधि के लिए नामित करेगा।

घ) परन्तु यदि नियम 3(क) 9 के अंतर्गत नियुक्त किए किसी सदस्य के अतिरिक्त सोसाईटी के किसी भी सदस्य को सोसाईटी या उसके किसी निकाय या समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने से रोका जाता है तो उसे यह छूट होगी कि वह बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त या प्राधिकृत कर दे और ऐसे प्रतिनिधि को सोसाईटी की बैठक में बोलने और वोट देने के अधिकार सहित सोसाईटी के सदस्य के सभी अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।

7. सदस्यता अवधि पूरी करने वाले सभी सदस्य पुनर्नियुक्ति के हकदार होंगे।

8. सोसाईटी के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी यदि:

क) वह त्यागपत्र देता है, विक्षिप्त हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता के किसी दांडिक अपराध में दोषी सिद्ध होता है या

ख) वह, निदेशक को छोड़ कर, इस संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

9. क) सोसाईटी की सदस्यता से त्यागपत्र सोसाईटी के अध्यक्ष को दिया जाएगा और यह त्याग पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे अध्यक्ष द्वारा सोसाईटी की ओर से स्वीकार नहीं कर लिया जाए ।

ख) सोसाईटी का अध्यक्ष केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर अपना पद त्याग सकता है और उसका त्यागपत्र केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने की तारीख से प्रभावी होगा।

10. i) सोसाईटी में किसी रिक्ति के होते हुए भी और अपने किसी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में किसी कमी के बावजूद सोसाईटी अपना कार्य करेगी तथा सोसाईटी में किसी रिक्ति के होने या इसके किसी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में कोई कमी होने की वजह से सोसाईटी का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

ii) सोसाईटी द्वारा चलाए जाने वाले अध्ययन और अन्य कार्यक्रम स्त्री पुरुष दोनों के लिए और किसी भी प्रजाति धर्म, पंथ जाति या वर्ग के लिए हों तो और सोसाईटी के सम्बन्ध में सदस्यों, छात्रों, अध्यापकों या कार्मिकों को प्रवेश देने या नियुक्त करने में धार्मिक विश्वास या व्यवसाय के आधार पर कोई परीक्षा या शर्त नहीं लगाई जाएगी।

सोसाईटी की कार्यवाहियाँ

11. बैठकें

i) सोसाईटी की वार्षिक आम सभा सोसाईटी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए गए समय, तारीख और स्थान पर की जाएगी। आमतौर पर सोसाईटी की आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी।

ii) अध्यक्ष जब कभी उपयुक्त समझेगा विशेष बैठक बुला सकता है परन्तु अध्यक्ष को पंद्रह से अधिक सदस्यों की लिखित मांग पर भी, जिसमें बैठक बुलाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिया गया हो, बैठक आयोजित करनी होगी।

iii) सोसाईटी का अध्यक्ष सोसाईटी की किसी भी बैठक में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को बैठक में विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकता है परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैठक में किसी भी मामले में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

12. यदि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो तो सोसाईटी की सभी बैठकें सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से नोटिस जारी कर के ही बुलाई जाएगी।

13. i) सोसाईटी की बैठक बुलाने के प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख, समय और बैठक के स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा और यह नोटिस बैठक की तारीख से कम से कम 20 दिन पहले सभी सदस्यों को दिया जाएगा।

ii) अध्यक्ष अल्पकालिक नोटिस दे कर बैठक बुला सकता है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

iii) किसी सदस्य को किसी बैठक का नोटिस देने में संयोगवश चूक होने या किसी सदस्य को नोटिस न मिलने की स्थिति में उक्त बैठक की कार्यवाहियों को अमान्य नहीं माना जाएगा।

14. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सोसाईटी की बैठक की अध्यक्षता उस समय उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

15. नियम 6 (ख) में बताए अनुसार व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित एक तिहाई सदस्यों से ही सोसाईटी की प्रत्येक बैठक का कोरम बनेगा।

16. सोसाईटी की बैठक में सभी विवादित प्रश्नों पर वोट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि सोसाईटी द्वारा निर्णय लिए जाने वाले किसी प्रश्न के संबंध में बराबर वोट पड़े हों बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अतिरिक्त या निर्णायक वोट होगा।

17. सदस्य सचिव सोसाईटी की कार्यवाहियों का रिकार्ड रखें और इसकी एक प्रति केन्द्र सरकार को भेजें।

कार्यकारी परिषद

18. क) सोसाईटी के मामलों का सामान्य अधीक्षण दिशानिर्देशन, नियंत्रण और प्रशासन और इसकी सम्पत्ति और सोसाईटी की आय सोसाईटी की कार्यकारी परिषद में निहित होगी यह परिषद सोसाईटी के सभी अधिकारों का उपयोग करेगा। जिसमें पूर्वोक्त बातों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सम्पत्ति अर्जन और बेचने का अधिकार, प्रतिभूति के आधार पर ऋण या अन्य प्रकार से ऋण लेने का अधिकार, अग्रिम धन देना और नियुक्तियां करना शामिल है।

ख) सोसाईटी की कार्यकारी परिषद में अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगेः

i) केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव और इस मंत्रालय का कोई अन्य प्रतिनिधि — दो (2)

ii) केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि — एक (1)

iii) केन्द्र सरकार के शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि — एक (1)

iv) केन्द्र सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि — एक (1)

v) विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों तथा पत्रकारिता और जन संचार विभागों से दो प्रतिनिधि जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। — दो (2)

vi) सार्वजनिक जीवन, पत्रकारिता और किसी अन्य जन संचार माध्यम, थिएटर, और पारम्परिक माध्यम, प्रबन्धन, कला और साहित्य के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। — चार (4)

vii) भारतीय जन संचार संस्थान फेकल्टी के प्रतिनिधि (एक प्रोफेसर, एक रीडर और एक लेक्चरार) — तीन (3)

viii) निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान पदेन सदस्य सचिव — एक (1)

19. i) कार्यकारी परिषद का मार्च 1978 के बाद दो वर्षों में एक बार पुनर्गठन किया जाएगा कार्यकारी परिषद के कार्यचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी परिषद की पुनः गठित की जाने वाली की सदस्यता के लिए नामांकन का कार्य दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा।

ii) जिन सदस्यों को मंत्रालय/विभाग/संगठन में उनके पद या उनकी नियुक्ति की वजह से कार्यकारी परिषद में नामित किया गया हो वे यथास्थिति कार्यकारी परिषद की पूरी अवधि तक या उस पद या नियुक्ति पर रहने तक निरंतर इस कार्यकारी परिषद के सदस्य बने रहेंगे। किसी सदस्य के अपने पद पर न रहने या मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा किसी नए सदस्य के पक्ष में उसका नामांकन वापस ले लेने की स्थिति में उसके स्थान पर नया नामित सदस्य परिषद का अगला पुनर्गठन होने तक कार्यकारी परिषद में सदस्य की हैसियत से कार्य करेगा।

20. कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी यदिः

क) वह त्याग-पत्र देता है विक्षिप्त हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता या दांडिक अपराध में दोषी सिद्ध होता है;

ख) वह कार्यकारी परिषद की लगातार तीन बैठकों में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है; या

ग) यदि वह सोसाईटी का सदस्य न रहे।

21. कार्यकारी परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष को दिया जाएगा और यह त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न किए जाने तक प्रभावी नहीं होगा ।

22. जिन सदस्यों को व्यावसायिक या अन्य निकायों से या प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है वे कार्यकारी परिषद का पूरी दो वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे बशर्ते कि किसी वजह से इनका पद रिक्त न हो जाए, ऐसी रिक्ति की स्थिति में नामित करने वाला संबंधित प्राधिकारी रिक्ति तारीख से एक माह के भीतर नए प्रतिनिधि को शेष अवधि के लिए नामित करेगा।

23. कार्यकारी परिषद अपने पद की वजह से सदस्य बनने के हकदार किसी व्यक्ति को तत्समय कार्यकारी परिषद के सदस्य रूप में आमंत्रित न करने और नियुक्ति करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति न करने या किसी अन्य कारण से उसके निकाय में कोई रिक्ति के होते हुए भी कार्य करेगी तथा उपरोक्त किसी भी वजह से या इसके किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई कमी होने की वजह से कार्यकारी परिषद का कोई कार्य या उसकी कार्यवाहियाँ अमान्य नहीं होंगी।

कार्यकारी परिषद की कार्यवाहियां

24. कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता इस परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

25. कार्यकारी परिषद की किसी भी बैठक में पांच सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

26. कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को कम से कम पूरे दस दिन पहले नोटिस किया जाएगा किन्तु अध्यक्ष ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। यथोचित अल्पावधिक नोटिस देकर बैठक बुला सकता है।

27. i) कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाने के प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख, समय और बैठक स्थान का उल्लेख किया जाएगा और यह नोटिस इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

ii) किसी सदस्य को बैठक का नोटिस देने में संयोगवश चूक होने या किसी सदस्य को नोटिस न मिलने की स्थिति में बैठक की कार्यवाहियों को अमान्य नहीं माना जाएगा ।

iii) कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कार्यकारी परिषद की किसी भी बैठक में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है तथा विचार-विमर्श में भाग लेने हेतु कह सकता है परन्तु उसे बैठक में किसी मामले पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा ।

28. कार्यकारी परिषद को एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करनी होगी और परिषद की किन्हीं दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।

29. कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर वोट हों तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक वोट होगा।

30. जो कार्यकारी परिषद के लिए करना आवश्यक हो वह भारत में सभी सदस्यों में परिचालित करके किया जाएगा और परिचालित किया गया और अधिकांश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके अनुमोदित किया गया कोई भी संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो यह संकल्प विधिवत् बुलाई गई और आयोजित बैठक में पारित किया गया हो ।

31. i) इनमें इसके बाद उल्लिखित के अध्यधीन कार्यकारी परिषद के सदस्यों में मतभेद होने की स्थिति में बहुमत की राय अभिभावी रहेगी।

ii) अध्यक्ष किसी भी ऐसे प्रश्न को केन्द्र सरकार के पास निर्णय के लिए भेज सकता है जो उसकी राय में महत्व रखता हो और जिसे न्यायोचित ठहराना आवश्यक हो और केन्द्र सरकार का निर्णय सोसाईटी और कार्यकारी परिषद के लिए बाध्यकार होगा।

iii) संस्थान के संचालन से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए अध्यक्ष अधिकतम चार सदस्यों की एक स्थायी समिति बनाएगा । निपटान के लिए सदस्य सचिव के रूप में जन संचार संस्थान के निदेशक भी होंगे । इस स्थायी समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर होगी और इनके निर्णयों की सूचना कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में दी जाएगी।

iv) मंत्रालय की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे किसी वित्तीय मामले पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय विंग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों और कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्यों अध्यक्ष के बीच असहमति की स्थिति में मामले को निर्णय के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री और वित्त मंत्री के पास भेजा जाएगा ।

32. उप-विधियां

i) कार्यकारी परिषद को सोसाईटी के मामलों के प्रशासन और प्रबन्धन के लिए ऐसी उप-विधि बनाने का अधिकार होगा जो सोसाईटी के नियमों और विनियमों के अनुरूप हों और इस कार्यकारी परिषद को समय-समय पर इसमें परिवर्तन, संशोधन करने, इन्हें रद्द करने और इन्हें बदलने का भी अधिकार होगा।

ii) पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उप विधियों में निम्नलिखित मामलों से संबंधित उपबन्ध होंगेः-

क) बजट प्राक्कलन तैयार करने और उन्हें सहस्वीकृत करने, व्ययों की मंजूरी देने, संविदाओं का निष्पादन करने, सोसाईटी की निधियों का निवेश करना, ऐसे निवेशों की बिक्री या परिवर्तन, लेखा और लेखा परीक्षा;

ख) समय-समय पर गठित किए गए सलाहकार बोर्डों या समितियों के अधिकार, कार्य और किए जाने वाले कार्य व्यवहार और इनके सदस्यों की कार्य अवधि;

ग) सोसाईटी, संस्थान और सोसाईटी द्वारा स्थापित और अनुरक्षित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

घ) सोसाईटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें और अवधि, परिलब्धियां, भत्ते, अनुशासनिक नियम और अन्य सेवा शर्तें;

ङ) छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन विद्यालय, अनुसंधान योजनाएं और परियोजनाएं तथा पुस्तकालय, कर्मशाला या प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में लागू होने वाली शर्तें;

च) इसी प्रकार के अन्य मामले जो सोसाईटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और सोसाईटी के कार्य व्यवहार के उपयुक्त प्रशासन के लिए आवश्यक हों।

33. इन नियमों और विनियमों के अध्यधीन कार्यकारी परिषद या कार्यकारी परिषद की ओर से अधिकृत कोई व्यक्ति या (निकाय) को सोसाईटी के कार्यों का संचालन करने के लिए सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने और बजट प्रावधानों के अंतर्गत उनके परिश्रमिक निर्धारित करने के साथ-साथ उनके कर्तव्य निर्धारित करने का भी प्राधिकर होगा।

34. अध्यक्ष निर्धारित कार्यों के निष्पादन में मदद के लिए स्थायी समिति के अतिरिक्त कोई अन्य समिति या उप-समिति भी नियुक्त कर सकता है।

35. संस्थान के निदेशक की नियुक्ति (20 नवम्वर 2008 की कार्यकारी परिषद की 112वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार) केन्द्र सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी। संस्थान के निदेशक की

नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर कार्यकारी परिषद द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से की जाएगी।

कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की शक्तियां

36. कार्यकारी परिषद संकल्प के द्वारा इस परिषद के अध्यक्ष को सोसाईटी के कार्यव्यवहार के संचालन के लिए अपनी कुछ शक्तियां जिन्हें वह उपयुक्त समझे प्रत्यायोजित कर सकती है अध्यक्ष को उक्त शक्तियों में से किसी एक या अधिक को कार्यकारी परिषद के किसी भी अन्य सदस्य या सोसाईटी के किसी अन्य अधिकारी को इस शर्त के अध्यधीन उप-प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि इन नियमों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई या अध्यक्ष द्वारा उप-प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में दी जाएगी।

37. अध्यक्ष लिखित रूप में अपनी शक्तियाँ जिन्हें वह आवश्यक समझे कार्यकारी परिषद के किसी भी सदस्य या सोसाईटी के किसी अन्य अधिकारी को इस शर्त के अंतर्गत प्रत्यायोजित करेगा कि वह सदस्य या अधिकारी की गई किसी भी कार्रवाई की सूचना अध्यक्ष को देगा।

38. कार्यकारी परिषद निदेशक या अपने किसी भी सदस्य या सोसाईटी के किसी अन्य अधिकारी को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करेगी और ऐसे दायित्व सौंपेगी जिन्हें कार्यकारी परिषद उपयुक्त समझती है तथा ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों के लिए वह सीमा भी निर्धारित करेगी जिनके भीतर रहते हुए इनका उपयोग या निष्पादन किया जाएगा।

39. क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्थायी समिति के माध्यम से या कार्यकारी परिषद के निर्देश और दिशानिर्देश के तहत निदेशक सोसाईटी और इस संस्थान तथा सोसाईटी द्वारा स्थापित विभागों के कार्य देखेगा और इनके उपयुक्त प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) निदेशक सोसाईटी और कार्यकारी परिषद की बैठकों की कार्यवाहियों के उचित रिकार्ड और कार्यवृत्त रखेगा या रखवाएगा तथा इनकी प्रतियां केन्द्र सरकार को भेजेगा । निदेशक सोसाईटी की आम सभा में पारित और कार्यकारी परिषद तथा किसी भी समिति या उप समिति द्वारा पारित किए गए संकल्पों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। निदेशक सोसाईटी के सभी रिकार्ड अपने कार्यालय में या कार्यकारी परिषद द्वारा बताए गए स्थान पर रखेगा या रखवाएगा।

ग) निदेशक या कार्यकारी परिषद में संकल्प द्वारा पारित निदेशक की ओर से प्राधिकृत कार्यकारी परिषद का कोई सदस्य सोसाईटी और कार्यकारी परिषद के सदस्यों की ओर से सभी संविदाए, विलेख और अन्य लिखित निष्पादन करेगा।

घ) सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के खण्ड 6 के प्रयोजन के लिए, निदेशक को सोसाईटी का प्रधान सचिव माना जाएगा और सोसाईटी निदेशक के नाम से वाद चला सकती है या सोसाईटी पर निदेशक के नाम से वाद चलाया जा सकता है

ङ) निदेशक कार्यकारी परिषद की सहमति से अपने किसी भी अधिकार और कार्य को किसी अन्य अधिकारी या नियुक्त प्राधिकारी या इन नियमों के अंतर्गत स्थापित किसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है परन्तु निदेशक अपने प्रभाराधीन सभी मामलों में, उन अधिकारों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन में कार्यकारी परिषद को जवाबदेह होगा जिनका प्रयोग और निष्पादन उसे प्रत्यक्ष रूप से करना है या उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे उसने ये अधिकार और कार्य प्रत्यायोजित किए हैं।

च) निदेशक सोसाईटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण का उपयोग करेगा जो कि इन नियमों और विनियमों तथा बनाई गई उप-विधियों के अंतर्गत आवश्यक हों।

छ) सभी शोध, प्राशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, सेमिनार, ग्रीष्मकालीन विद्यालय और सोसाईटी के नियमाधीन या उसके द्वारा विस्थापित आयोजित अन्य क्रियाकलापों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करना निदेशक का कर्तव्य होगा।

40. सोसाईटी का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक और या कोई भी राष्ट्रीकृत बैंक होगा। सभी निधियां भारतीय स्टेट बैंक और या किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में सोसाईटी के खाते में जमा किए जाएंगे और इन निधियों को केवल कार्यकारी परिषद द्वारा आहरण के लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर से ही निकाला जा सकता है ।

लेखा और लेखा परीक्षा

41. i) यह सोसाईटी उचित लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेगी और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फार्म में तुलन पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

ii) सोसाईटी के लेखों की केन्द्र सरकार द्वारा बताई रीति के अनुसार वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी और सोसाईटी के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में किया गया व्यय सोसाईटी द्वारा देय होगा।

iii) सोसाईटी के लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष केन्द्र सरकार को भेजे जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

42. निदेशक सोसाईटी के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए इसे कार्यकारी परिषद और सोसाईटी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार और सोसाईटी के सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाएगी। सोसाईटी की वार्षिक रिपोर्ट और उसके वार्षिक लेखे सोसाईटी की आम सभा में उनके विचारार्थ और अनुमोदन के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

नियमों और विनियमों में संशोधन

43. सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के प्रावधानों के अध्यधीन यह सोसाईटी केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से अपने उन उद्देश्यों में परिवर्तन और विस्तार कर सकती है जिनके लिए यह स्थापित की गई थी।

44. सोसाईटी के नियमों और विनियमों में परिवर्तन केन्द्र सरकार की स्वीकृति से किसी भी समय इस प्रयोजन के लिए विधिवत् आयोजित सोसाईटी की किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए गए संकल्प द्वारा पारित किया जा सकता है ।

45. सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 20) के खण्ड 13 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी समय केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति लेकर सोसाईटी को भंग किया जा सकता है।

46. यदि सोसाईटी के भंग होने पर उसके सभी ऋण और देयताओं को पूरा करने के बाद कोई सम्पत्ति शेष बचती है तो उसे सोसाईटी के सदस्यों में नहीं दिया जाएगा या नहीं बांटा जाएगा अपितु सोसाईटी के भंग होने के समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा यह सदस्यों के लिए विधिसम्मत होगा कि इस सम्पत्ति को सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) की धारा 1 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी उपयोग के लिए केन्द्र सरकार को दिया जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह 6-11-1975 को आयोजित आम सभा में संशोधित नियमों और पारित संकल्पों की संशोधित प्रति है ।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(पी.के. उमाशंकर)	(जी. जयरमण)	(एम. वी. देसाई)
संयुक्त सचिव,	संयुक्त सचिव (वित्त)	निदेशक
शिक्षा मंत्रालय,	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	भारतीय जन संचार संस्थान
नई दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली

सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र

1860 XXI का (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1978

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तक लागू

सं. 1965-1966 का एस 2909

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि 'भारतीय जन संचार संस्थान सोसाईटी' सोसाईटी को आज (तारीख) को पंजीकरण अधिनियम के 1860 XXI (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1947, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तक लागू है के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र बाईस जनवरी उन्नीस सौ छियासठ को मेरे हस्ताक्षर से दिल्ली में जारी किया गया।

पंजीकण शुल्क रु. 50/- प्रदत्त ।

हस्ताक्षर/- (सुरेन्द्र किशोर)
सोसाईटी रजिट्रार, दिल्ली

कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ सोसाईटीज दिल्ली प्रशासन
सी0 पी0 ओ0 बिल्डिंग, कश्मीरी गेट
दिल्ली

संख्या: एस/2909 दिनांक 28-4-1978

सेवा में,

Secy., Indian Institute of Mass Communication
D-13, South Extension Part II,
New Delhi-110049

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 30/3/78 के सन्दर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि संस्था के कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची वर्ष XX तथा संशोधित नियम-उपनियम इस कार्यालय में दिनांक 26/4/78 को पंजी कर लिए गए हैं ।

भवदीय
ह0/-

कृते: रजिट्रार आफ सोसाईटीज,
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

भारतीय जन संचार संस्थान प्रेस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 में मुद्रित